

MATTERS UNDER RULE 377

(i) REPORTED LOSS OF FILE CONTAINING DOCUMENTS RELATING TO THE TIME-CAPSULE

श्री केशव राव बोंबे (नालन्दा) : सदर साहब, मैं नियम 377 के द्वारा एक ग्रहमियत का सवाल उठाना चाहता हूँ।

कालपात्र के बारे में महत्वपूर्ण कागजात श्रीर फाइलें भारतीय इतिहास अनुसन्धान परिषद के मुख्यालय से गायब हो चुके हैं। यह बड़ा गम्भीर मसला है। ये कागजात जिस दिन यह मसला लोक सभा में चर्चा के लिए आया उसी दिन गुम हो गए हैं। मैं शिक्षा मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि वह इस पर स्टेटमेंट करने का साहस करें। जय कान्ति।

(ii) REPORTED MOVE TO WIND UP THE JUTE CORPORATION OF INDIA AT CALCUTTA

SHRI SAUGATA ROY (Barrackpore): Mr. Deputy-Speaker, Sir, under Rule 377, I rise to draw the attention of the House to the reported move to wind up the Jute Corporation of India at Calcutta.

In the Economic Times of April 11, it was reported that the Government is contemplating to wind up the Jute Corporation of India with its headquarters at Calcutta and assign its function of price support operations to the Food Corporation of India which is supposed to have experience in similar operations. This will be a disastrous step not only for 1600 employees of the Jute Corporation of India but also for the jute growers in the jute growing States of West Bengal, Bihar, Assam, Arissa and Tripura for whose benefit the Jute Corporation of India was set up.

The Jute Corporation of India has already established about a hundred direct purchase centres to purchase jute from the growers. If the Corpo-

ration has not been able to give adequate relief to jute growers, if it has not been able to save them from exploitation, it is not because of some inherent fault in the Corporation but it is because of the incapacity of the present management and the wrong pricing policies taken up by successive Governments. The successive governments have always not paid the jute growers adequate price and the Agricultural Prices Commission has never been favourable to the jute growers. So, this extreme step to wind up the Jute Corporation is not called for and I want to request the Government not to consider this step at all.

(iii) ADVERSE EFFECT OF POWER SHORTAGE ON AGRICULTURE AND INDUSTRIAL PRODUCTION

श्री बीरेन्द्र प्रसाद (नालन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन सदन श्रीर सरकार का ध्यान आकषिप्त करना चाहता हूँ कि :

“समस्त भारत में बिजली के अभाव में खेती एवं उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा रहा है। उत्पादन को जबरबस्त बनाया जा रहा है। उत्पादन के अभाव में वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है, साथ साथ मजदूरों के सामने भी समस्याएँ बढ़ी होती हैं। विशेष कर बिहार राज्य में बिजली के अभाव में खेती एवं उद्योग बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। किसानों में हताशता मचा है। जितने देनाबाट बिजली का उत्पादन है उतने ज्यादा बिजली विभागे ने बिजली देने का ऐरीमेंट करा रखा है। यद्यपि बिजली की आपूर्ति नहीं होती फिर भी उपभोक्ताओं से निम्नमम भारती की जाती है जिससे उपभोक्ताओं में काफी कोप है। सरकार को इस सम्बन्ध में राशिय नीति तय करनी चाहिये कि उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गारण्टी मिले। यदि बिजली आपूर्ति की गारण्टी नहीं है तो निम्नमम भारती

भी नहीं की जाये। इस राष्ट्रीय समस्या का राष्ट्रीय स्तर पर हल निकाला जाय।”

(iv) WIDE SPREAD INCIDENCE OF MALARIA IN DELHI

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मन्त्री) :
उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों मलेरिया जैसा भयंकर रूप धारण करता जा रहा है तथा जितनी तेजी से बढ़ रहा है उससे दिल्ली के अधिकांश भाग प्रभावित होने की सम्भावना बढ़ गई है, इस बात की धीरे सख्त का ध्यान धाकधिस करना चाहता हूँ। स्थिति यह है कि गत वर्ष मलेरिया रोगियों की संख्या लगभग 5,390 थी, जब कि इसी अवधि में अर्थात् 15 अप्रैल तक इस बार लगभग 34,000 लोग मलेरिया से पीड़ित दर्ज किए गये। इसका अर्थ यह हुआ कि इस बार मलेरिया में 6, 7 गुना वृद्धि हुई है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि राजधानी के अन्दर मच्छरों की वृद्धि के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण, बाढ़ नियंत्रण विभाग तथा विभिन्न ठेकेदार जिम्मेदार हैं। राजधानी में चल रही गन्दगी को समाप्त करने के लिए तथा मलेरिया की रोकथाम के लिए कोई प्रभावकारी कदम नहीं उठाये गये।

उपाध्यक्ष महोदय, अल्पके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान धाकधिस करना चाहता हूँ कि दिल्ली के अन्दर जो निम्नी कोठियाँ हैं या सरकारी कोठियाँ हैं उनमें कमकी लकड़ में पशु रखे जाते हैं, उनके सेनीटेसन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। सी० डी० टी० तथा अन्य दवाओं का छिड़काव करने के लिये कोई भी प्रभावकारी उपाय नहीं किया जा रहा है जिससे कि मच्छर नरें। अर्थात् एक पता चला है कि जैसा कि “नवभारत टाइम्स” में छपा है कि गत नवम्बर को महापौर के आदेश से इस विभाग के सिविल साइन्स ओल कार्यालय पर धारे गये छारे से पता चला था विभाग के आठे कर्मचारी इस दिन छुटी पर थे, लेकिन

रजिस्ट्रों में उनके नामों के आगे उस दिन छिड़कने के लिए दिया गया तेल दर्ज था। इस से पता चलता है कि सारे मामले में काफ़ी भ्रष्टाचार है। और यदि इसी प्रकार से स्थिति चलती रही तो भगले दिनों में काफ़ी मलेरिया केस बढ़ेंगे और ऐसा लगता है कि अस्पतालों के अन्दर उनकी भारी भीड़ लगेगी। इसी समाचार के अनुसार जो संख्या धाकी गई है उस हिसाब से वर्ष के अन्त तक अस्पताल में जाने वालों की संख्या, रोगियों की संख्या गढ़े ग्यारह लाख तक पहुँच जायेगी। यह एक भयावह स्थिति का संकेत है।

इसलिए मैं मंत्री जी से कहूँगा कि इसकी रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने का प्रयत्न करेंगे तथा इस सम्बन्ध में सख्त को भी अवगत करायेंगे।

(v) REPORTED ATTEMPT BY SUPPORTERS OF THE FORMER PRIME MINISTER TO DISTURB COURT PROCEEDINGS

श्री जगन्नुब चित्तारी (अधीनानाद) :
उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन एक बहुत ही लोक महत्व के विषय को उठाना चाहता हूँ।

महोदय, दिनांक 18 अप्रैल को दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में श्रीकै मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट, श्री पी० के० जैन के न्यायालय के समक्ष श्रीमती इन्दिरा गांधी के हजिअर होने के समय उनके समर्थकों ने संघटित रूप से न्यायालय में घुसने तथा न्यायालय के काम में अस्तित्व करने का प्रयास किया जिसके रोकने पर सीनास पुलिस पर साठी पत्थर तथा अन्य क्रियद्वारों से हमला किया गया। ये क्रोध ह्राव में लक्ष्मी लिए हुए चौधरी चरण सिंह और अस्तिम माह के विरुद्ध अयमाजजनक नारे लगाते रहे। इतना ही नहीं इन्होंने पुलिस कार्डन तोड़कर न्यायालय में घुसने का प्रयास किया और हंगामे के साथ न्यायालय की कार्यवाही को रोकने का भी प्रयास किया। इसी प्रकार की घटना “किन्सा कुर्सी का” फ़िरम के मामले में चल रही कार्यवाही के